



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022026-270412
CG-DL-E-23022026-270412

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 906]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 2026/फाल्गुन 4, 1947

No. 906]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 2026/PHALGUNA 4, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2026

का.आ. 950(अ).— यतः, मै. एएसएफ इंसिग्रिया एसईजेड प्रा. लिमिटेड, (पूर्व में मैसर्स. कैंटन बिल्डवेल प्रा. लिमिटेड) ने हरियाणा राज्य में गांव ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था: -

क्रम. सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(i)	का.आ.2143(अ)	17.12.2007	10.1627	-	10.1627
(ii)	का.आ.2098(अ)	27.08.2010	9.1401	-	19.3028
	का.आ.844(अ)	23.02.2024	-	4.4723	14.8305

और यतः, मै. एएसएफ इंसिग्रिया एसईजेड प्रा. लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 0.2760 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः हरियाणा राज्य सरकार ने उनके मेमो नंबर एसईजेड/मैसर्स एएसएफ इंसिग्रिया एसईजेड प्रा. लिमिटेड/4565-ए दिनांक 23 मई, 2025 के पत्र के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनधिसूचना के बाद, ऐसे भूमि पार्सल का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा;

और यतः विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 0.2760 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 0.2760 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 14.5545 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्रफल नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	रेक्ट नंबर	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	22	1/2	0.2760
	22	2	
कुल			0.2760
उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			14.5545

[फा. सं. एफ.2/631/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(SEZ DIVISION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2026

S.O. 950(E).— Whereas, M/s. ASF Insignia SEZ Pvt. Ltd (formerly M/s. Canton Buildwell Pvt. Ltd.), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Village Gwal Pahari, Gurugram in the State of Haryana;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified the following areas at above Special Economic Zone as details given below in the table:-

Sl. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in Hectares)	De-Notified Area (in Hectares)	Total Area (in Hectares)
(i)	S.O.2143(E)	17.12.2007	10.1627	-	10.1627
(ii)	S.O.2098 (E)	27.08.2010	9.1401	-	19.3028
(iii)	S.O.844 (E)	23.02.2024	-	4.4723	14.8305

AND, WHEREAS, M/s. ASF Insignia SEZ Pvt. Ltd has now proposed for de-notification of 0.2760 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Haryana has given its approval to the proposal vide Memo No. SEZ/ M/s ASF Insignia SEZ Pvt. Ltd./ 4565-A dated 23rd May, 2025. Further, after de-notification, the land parcels would be utilized toward creation of infrastructure which would sub-serve the objective of the SEZ as originally envisaged;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Noida Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 0.2760 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 0.2760 hectares, thereby making resultant area as 14.5545 hectares. The survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION OF AREA

Sl. No.	Rect No.	Khasra No.	Area in Hectares
1	22	1/2	0.2760
2.	22	2	
Total			0.2760
Grand total area of SEZ after above deletion			14.5545

[F. No. F.2/631/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.